भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1107

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

भविष्य निधि में अंशदान

1107. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान कर्मचारियों की भविष्य निधि में अंशदान नहीं करने वाली कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि में अंशदान नहीं किया है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एंड एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए नियोक्ताओं/प्रतिष्ठानों के लिए अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक-चलान-सह रिटर्न दायर करना और वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक है। ईसीआर दायर न करने के मामले में, नियोक्ताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सचेत (अलर्ट) किया जाता है।

ऐसे मामलों में जहां जांच के बाद गैर-अनुपालन का पता लगाया गया है, चूक की राशि का आकलन किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 क के तहत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जाती है। भुगतान में जानबूझकर चूक के लिए धारा 14 ख के तहत जुर्माना लगाया जाता है, और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें संभावित कुर्की या संपत्ति को जब्त करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, विलंबित भुगतान के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 ख के तहत 53782 मामलों में जुर्माना वसूल किया गया।

जारी--/2

गंभीर मामलों में, कम्पनी के प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक आरोप दर्ज किए जा सकते हैं। ये कदम चूक की पुनरावृत्ति को भी नियंत्रण में रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 184 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भुगतान में चूक के लिए धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया और 23 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भुगतान में चूक के लिए आईपीसी की धारा 406/409 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंशदान न करने वाले चूककर्ता प्रतिष्ठानों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

* *****

अनुबंध

'भविष्य निधि में अंशदान' के संबंध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अंशदान न करने वाले चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	14
2	आंध्र प्रदेश	339
3	असम	46
4	बिहार	45
5	छत्तीसगढ़	36
6	दादरा और नागर हवेली	24
7	दमन दीव	12
8	दिल्ली	296
9	गोवा	8
10	गुजरात	192
11	हरियाणा	197
12	झारखंड	28
13	कर्नाटक	293
14	केरल	42
15	मध्य प्रदेश	174
16	महाराष्ट्र	784
17	मेघालय	1
18	ओडिशा	126
19	पंजाब	292
20	राजस्थान	159
21	हिमाचल प्रदेश	3
22	सिक्किम	2
23	तमिलनाडु	856
24	तेलंगाना	272
25	त्रिपुरा	18
26	उत्तर प्रदेश	435
27	उत्तराखंड	63
28	पश्चिम बंगाल	108
	कुल योग	**4865**

*****